न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क

फर्द अहकाम

मुकदमा 39/15 तारीख रजू 28.7.15

उनवान-श्रीमति ओमवती बनाम प्रेमसिंह वगैरा वगैरा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अर्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। शपथ पत्र व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 11.8.15 को पेश हो।

18.13.21
28-7-15

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

11/8/15 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं. 1 ता 6 व 8,9 की तामिल हो चुकी है। वावजूद सूचना उपस्थित नहीं। प्रतिवादी नं 7 की तामिल अप्राप्त है वास्ते तामिल इन्तजार। P.O. किये जावे आईन्दा दिनांक 8.9.15 को पेश हो।

8.9.15 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी नं 1 ता 6 की ओर से श्री रामगोपाल युद्धा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जो मौकल पत्रावली है। अप्रार्थी नं 8,9 की तामिल होने के उपरान्त उपस्थित नहीं। इसलिए इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। तथा अप्रार्थी नं 7 की तामिल अप्राप्त है वास्ते तामिल इन्तजार व जवाब दिनांक 28.9.15 को पेश हो।

28/9 वकालत अप्र। अप्रार्थी नं. 7 का नोटिस तलबाना पुनः पेश हो। अप्रार्थी क. 1 ता 6 का जवाब पेश करे। आईन्दा दि० 9.11.15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोड

दिनांक	फर्द अहकाम
5.3.19	वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी नं. 1 से 6 उपस्थित। वकील प्रतिवादी नं. 10 उपस्थित नही। कई बार अवसर दिलवाई गई फिर भी वकील प्रतिवादी नं. 10 एवं प्रतिवादी नं. 10 उपस्थित नही की इसलिए प्रतिवादी नं. 10 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली करते बहस दि० 26.3.19 को पेश हो।
26.3.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनावड्रेनिंगमें जयपुर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 9-4-19 को पेश हो। रीडर
9-4-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली गत... दिनांक 28-5-19 को पेश हो।
28-5-19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराया कि ग्राम जैसली स्थित भूमि खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.11 है०, 1175 रकबा 0.12 है०, 1176 रकबा 0.06 है० एवं खसरा नम्बर 1194/1385 रकबा 0.67 है० कुल किता 4 रकबा 0.96 है० में हिस्सा 1/2 की खातेदार प्रार्थिया ही तथा शेष 1/2 हिस्सा के अप्रार्थी नं. 1 से 7 खातेदार है। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने भी कहा कि प्रतिवादीगण भी हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है वकील उभयपक्ष ने अपने दिशा पर हस्ताक्षर करते हुए यह भी कथन किया कि उभयपक्षकारान को

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

ांक	फर्द अहकाम	

रिकार्ड के अनुसार दावा के फैसला होने तक यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द फरमा दिया जाये। वकील उभयपक्ष की बहस एवं सहमति के फलस्वरूप दावा के फैसला होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम जेसनी स्थित भूमि ख.नम्बर 1171 रकबा 0.11 है०, 1175 रकबा 0.12 है०, 1176 रकबा 0.06 है० एवं खसरा नम्बर 1194/385 रकबा 0.67 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.96 है० पर रिकार्ड के अनुसार यथास्थिति - बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28-5-2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner